Paper-II
TDC-I(H)

POL. SCIENCE

Dr. P. K. Yadav

FRENCH PRESIDENT UNDER V-th REPUBLIC ①

6 नवम्बर 1962 को अनुच्छेद 11 में निर्धारित जनमत संग्रह द्वारा अनुच्छेद 6 को संशोधित किया गया। फ्रांस के संशोधित संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव सीधे सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा 7 वर्ष के लिये होता है। 1958 के संविधान के अनुसार पहले राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था।

चुनाव :- अनु० 7 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव प्रथम मतदान में ही निरपेक्ष अथवा पूर्ण बहुमत द्वारा होना चाहिये। यदि यह सम्भव नहीं होता है तो दूसरे मतदान में इसे तुलनात्मक बहुमत से पूरा किया जाता है। नये राष्ट्रपति का चुनाव पहले राष्ट्रपति की अवधि समाप्त होने से कम से कम 20 दिन पूर्व में और अधिक से अधिक 50 दिन पूर्व होना आवश्यक है।

कार्यकाल :- अनु० 6 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष है। उसके पुनर्निर्वाचन के बारे में संविधान मौन है। संविधान में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति पद में आकस्मिक रिक्तता उत्पन्न होने पर सीनेट का अध्यक्ष नये राष्ट्रपति के चुने जाने तक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। कोई व्यक्ति दुबारा भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति श्री मितराँ ने राष्ट्रपति पद के लिये 21 may 1982 को शपथ ग्रहण की। श्री मितराँ फ्रांस के ~~सबसे~~ पहले समाजवादी राष्ट्रपति है

योग्यतायें :- यद्यपि राष्ट्रपति पद के लिये कोई योग्यता अनिवार्य नहीं मानी गई है तथापि राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी स्वयं अपनी उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा करते हैं।

शक्तियाँ तथा कार्य → पंचम गणतंत्र के अनु० 5 के अनुसार राष्ट्रपति को राष्ट्रीय स्वतंत्रता, देश की अखंडता, समुदाय में किये गये समझौतो तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियो का प्रत्याभू (संरक्षक) बनाया गया है। राष्ट्रपति को कुछ संकटकालीन शक्तियाँ भी प्राप्त है। लेकिन उसे सरकार का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। फ्रांस में प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ निम्न है-

1.) कार्यपालिका (Executive) Power →

(1) संविधान, देश की स्वतंत्रता तथा अखंडता की रक्षा करना → अनुच्छेद 5 के अनुसार राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि संविधान का उचित आदर हो। राष्ट्रपति अपनी मध्यस्थता अथवा विवाचन शक्ति द्वारा यह निश्चित करता है कि सार्वजनिक शक्तियाँ ठीक प्रकार से अपना कार्य करे और राष्ट्रपति विधिवत चलता रहे। वह राष्ट्र की स्वतंत्रता, देश की अखंडता तथा समाज के समझौतो तथा संधियों के लिये उत्तरदायी है।

(2) प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों की नियुक्ति — चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति केवल प्रधान मंत्री के उम्मीदवारी का नामांकरण ही करता था और नियुक्ति National Assembly करती थी।

P.T.O.

Scanned with CamScanner

किन्तु पंचम गणतंत्र के संविधान के अनु० 8 के अनुसार प्र...

प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनके कर्त्तव्यों की सीमा निर्धारित करता है।

(3) मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना — राष्ट्रपति ही मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है।

(4) अध्यादेशो पर हस्ताक्षर करना — मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशो तथा अज्ञाप्तियों पर राष्ट्रपति को ही हस्ताक्षर करने का अधिकार है।

(5) नियुक्तियाँ — राज्य परिषद के सदस्य, लीजन ऑफ ऑनर के महाधिपति, राजदूत तथा विशेष प्रतिनिधि, लेखा परीक्षा कार्यालय के अधिकारी सदस्य, जिला अधिकारी, साधारण अधिकारी, अकेडिमियों के कुलपति आदि की नियुक्ति मंत्रिमंडल की बैठको में की जाती है।

(6) कूटनीतिक शक्तियाँ — राष्ट्रपति ही विदेशो में राजदूतो और असाधारण आयुक्तो की नियुक्ति करता है। विदेशो के राजदूत तथा असाधारण आयुक्त भी राष्ट्रपति के प्रति नियुक्त किये जायेगें।

(7) सैनिक शक्तियाँ — राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओ का प्रधानपति है। वह राष्ट्रीय सुरक्षा की उच्च परिषदो तथा समितियों की अध्यक्षता करता है।

(8) स्वविवेक शक्तियाँ — पहले संविधान में राष्ट्रपति के प्रति कार्य व आदेश पर प्रधानमंत्री अथवा किसी मंत्री के counter signature की आवश्यकता थी किन्तु अब वर्तमान संविधान के अनु० 19 में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति जो कार्य अनु० 8, 11, 12, 16, 18, 54, 56, 61 के अधीन करेगा उसमें प्रधानमंत्री अथवा किसी मंत्री के Counter Signature की आवश्यकता नहीं रहेगी। राष्ट्रपति जो कार्य वर्तमान संविधान के अन्य उपबंधो के अधीन करेगें, उनके ऊपर प्रधानमंत्री अथवा किसी मंत्री के Counter Signature की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि पहले की अपेक्षा अब उसकी स्थिति काफी सुदृढ़ है किन्तु अब भी वह अमेरिकन राष्ट्रपति के समान शक्तिशाली नहीं है।

(2.) विधायी शक्तियाँ (LEGISLATIVE POWER) →

राष्ट्रपति को पंचम गणराज्य के संविधान में निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ दी गई है —

(1) संदेश भेजना — राष्ट्रपति संसद के दोनो सदनो को संदेश भेज सकता है जिसको संसद में पढ़ा जायेगा परन्तु उस पर वाद विवाद नहीं होगा। जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो और राष्ट्रपति कोई संदेश भेजना चाहे तो संसद का इस हेतु विशेष अधिवेशन होगा।

(2) विधेयको पर जनमत संग्रह कराना — राष्ट्रपति सरकार के प्रस्ताव पर जबकि संसद का अधिवेशन हो रहा है। अथवा संसद के दोनो सदनो के संयुक्त प्रस्ताव पर सरकारी पत्रिका में छपने के बाद, उस पर

Scanned with CamScanner

जनमत संग्रह करना सकता है। यदि वह विधेयक जनशक्ति व्यवस्था से संबंधित हो या राष्ट्र की संस्थाओं को प्रभावित करने वाली अथवा किसी संधि की पुष्टि करने का अधिकार प्रदान करने वाला हो। यदि जनमत संग्रह द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाये, तो राष्ट्रपति 15 दिन के अंदर इसकी घोषणा करके इसे लागू कर देता है।

(3) विधेयकों पर पुनर्विचार करवाना — अंतिम चरण में सरकार विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है। यदि राष्ट्रपति इस विधेयक से सहमत है, तो वह 15 दिन के अंदर उसकी उद्घोषणा कर देगा। यदि राष्ट्रपति विधेयक से सहमत नहीं है तो इस अवधि की समाप्ति से पूर्व संसद के पास उस सम्पूर्ण विधेयक को अथवा उसकी कुछ धाराओं को पुनर्विचार के लिये भेज सकता है। संसद इस पर पुनर्विचार करने से इन्कार नहीं कर सकती है।

(4) राष्ट्रीय सभा को भंग करना — वर्तमान संविधान के अनु० 12 के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा संसद के दोनों सदनों के सदस्य अध्यक्षों से परामर्श करके राष्ट्रीय सभा को विघटित कर सकता है। परन्तु इस संबंध में उस पर दो सीमायें हैं — (i) आपातकालीन स्थिति में वह राष्ट्रीय सभा को भंग नहीं कर सकता है। (ii) राष्ट्रीय सभा के भंग होने के बाद सार्वजनिक चुनाव कम से कम 20 दिन और अधिक से अधिक 40 दिन के अंदर हो जाना चाहिये। इस चुनाव के होने के बाद एक वर्ष के अंदर राष्ट्रीय सभा को भंग नहीं किया जा सकता है।

3. न्यायिक शक्तियाँ → (Judiciary Power) फ्रांस के पंचम गणराज्य के संविधान के अनु० 17 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने का अधिकार है किन्तु संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह इस शक्ति को स्व विवेक से प्रयोग करेगा अथवा मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के परामर्श पर करेगा। वर्तमान संविधान के अनु० 64 के अनुसार राष्ट्रपति Judicial Authority की स्वतंत्रता का गारंटी देगा जिसमें न्यायालय की उच्च परिषद उनकी सहायता करेगी। एक आंगिक कानून देडाधिकारियों का status निश्चित करता है। न्यायालय की उच्च परिषद की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। न्यायमंत्री इस परिषद का पदेन उपाध्यक्ष होता है। एक आंगिक कानून द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार राष्ट्रपति इस परिषद में नौ अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं।

4. संकटकालीन शक्तियां (Emergency Power) — वर्तमान संविधान के अनु० 16 में यह कहा गया है कि किसी समय गणराज्य की संस्थाओं, राष्ट्र की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय क्षेत्र की एकता या राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों के पालन को किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका के और वैधानिक जन शक्तियों का सही ढंग से कार्य करने में बाधायें उपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों तथा संवैधानिक परिषद से परामर्श करने के

P.T.O.

Scanned with CamScanner

पश्चात् समयानुकूल उपाय करके इसकी सूचना वह राष्ट्र को एक संदेश द्वारा दे। इन सब उपायों का उद्देश्य शीघ्र गणतंत्र के संवैधानिक अधिकारों की बहाली होनी चाहिये। राष्ट्रपति इस विषय में संवैधानिक परिषद से परामर्श करते हैं। संकटकालीन स्थिति में राष्ट्रीय सभा को विघटित नहीं किया जा सकता और संसद अपने स्वयं अधिकार से मिलेगी।

स्थिति (Position) → भविष्य में फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या रंग लायेंगी, यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। राष्ट्रपति की शक्तियाँ भविष्य में घटनेवाली परिस्थितियों पर वह अधिक सीमा तक निर्भर होगी। जब जनरल दी गॉल के राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के लिये प्रयत्न किया तो उनके मन में 1940 की स्थिति की याद ताजा थी जबकि फ्रांस को जर्मनी के हाथों पराजित होना पड़ा था और सारा प्रशासन अस्त व्यस्त हो गया था। यही कारण है कि ऐसे विकट समय के लिये उन्होंने राष्ट्रपति की असाधारण शक्तियों के लिये मांग की थी किन्तु दी गॉल के 1958 की संकट कालीन स्थिती के समय में भी अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग नहीं किया।

फ्रांस के राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति, मंत्रियों, संसद तथा संवैधानिक परिषद के विचारों का विरोध कर सकता है और उन्हें अस्वीकार भी कर सकता है। यदि मंत्रिमंडल राष्ट्र का परिचालन चक्र है तो राष्ट्रपति गणराज्य का परिचालक है। राष्ट्रपति के अधिकारों तथा शक्तियों पर एक मात्र अंकुश महाभियोग की है जो कि केवल देशद्रोह के गंभीर अपराध के कारण चलाया जा सकता है और जिसे सिद्ध करना आसान नहीं है। इसलिये अत्यंत गंभीर संकटकालीन स्थिति के समय जैसा कि 1940 में हुआ था, राष्ट्रपति अपनी मनमानी देश की रक्षा हेतु कर सकता है। परन्तु यदि उसने परिस्थिति से लाभ उठाकर अपनी तानाशाही लायी तो फ्रांस की जनता छठे गणराज्य की स्थापना में भी देर नहीं लगायेगी।

डोरथी पिकल्स ने पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति के प्रदत्त शक्तियों की व्याख्या करते हुये कहा है — "कुछ दशाओं में पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति को संविधान के अधीन उसके पहले होने वाले राष्ट्रपतियों की अपेक्षा कहीं अधिक छूट दी गई है, लेकिन इतना जल्दी राष्ट्रपति के उन अधिकारों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता जो समय के परिवर्तन के साथ उसके हाथों समा जायेंगे। उदाहरण के लिये वर्तमान संविधान के अनु० 52 के अनुसार राष्ट्रपति को अब संधियों के विषय में विचारों का आदान-प्रदान करने का अधिकार है लेकिन पुराने संविधान के अनुसार उसे ऐसी संधियों के विषय में केवल सूचना मात्र दी जाती थी। उन पदों की सूची जिनकी नियुक्ति वह कर सकता है, अब 1946 के संविधान की सूची से कहीं अधिक लम्बी है। किसी प्रकार पूर्णत: प्रस्तावित किये बगैर ही उसे प्रधानमंत्री तथा उसके द्वारा कहे गये मंत्रियों की नियुक्ति

करने का अधिकार प्राप्त है। एक अर्थ में उसे काम करने की कुछ कम स्वतंत्रता दी गई मालूम होती है। क्षमादान के अधिकार को प्रयोग करने के लिये उसे अब अन्य मंत्रियो के प्रति हस्ताक्षर (Counter-Signature) की आवश्यकता नही है जबकि पहले संविधान के अंतर्गत यह अनिवार्य नही था।

Dorothy Pickles ने आगे लिखा है — "तृतीय तथा चतुर्थ गणराज्यों के अधीन अपने पूर्ववर्तियो की भांति राष्ट्रद्रोह के अतिरिक्त अन्य किसी भी शासकीय कार्य के लिये राजनीतिक तौर पर वह उत्तरदायी नही है। राष्ट्र-द्रोह के लिये उच्च न्यायालय में उस पर अभियोग चलाया जा सकता है लेकिन पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति के विषय में यह सत्य नही है क्योंकि वह साधारण स्थिति में ही अपने वास्तविक अधिकारो का कुछ प्रयोग तो कर ही सकता है और संकट कालीन स्थिति में असीमित शक्तियो का प्रयोग करता है।"

संसद में वर्तमान संविधान के अनु० 18 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा भेजे गये संदेश पर बहस नही की जा सकती है। राष्ट्रपति संसद का इस हेतु विशेष अधिवेशन भी बुला सकते है।

अनु० 54 के अनुसार यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते अथवा संधि में कोई अनु० संविधान के विरुद्ध है तो उस समझौते अथवा संधि के अनुसमर्थन से पूर्व संविधान में संशोधन कर लिया जाय। इससे राष्ट्रपति को वैदेशिक क्षेत्र में काफी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है।

अनु० 56 के अनुसार राष्ट्रपति को संवैधानिक परिषद के 9 सदस्यो में से तीन (3) सदस्य नियुक्त करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त वह संवैधानिक परिषद के अध्यक्ष को भी नियुक्त करता है जिसे मतो के बराबर होने पर अपना निर्णायक मत देने का अधिकार है। चूँकि पाँचवे गणतंत्र में संवैधानिक परिषद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान में राष्ट्रपति की अपार शक्तियों और उनके संभावित वास्तविक प्रयोग के आधार पर फ्रेंच नेता मारिस थोरेज ने कहा है कि राष्ट्रपति को नये संविधान में 19वी शताब्दी के सम्राटो से भी अधिक शक्तियाँ प्राप्त है।

प्रो० एरोन के अनुसार — "भविष्य में राष्ट्रपति पद का विकास दो प्रकार से हो सकता है। यदि साधारण व्यक्ति राष्ट्रपति हो तो वह सरकार का सर्वश्रेष्ठ परामर्शदाता अथवा सर्वोच्च मध्यस्थ बनकर रह सकता है और तब संविधान संसदीय सरकार की ओर विकसित होगा। लेकिन यदि वह वस्तुतः अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहेगा तो वह संघर्ष मोल लेगा — सर्वप्रथम अपने प्रधानमंत्री के साथ और बाद में राष्ट्रीय सभा के साथ।"

Scanned with CamScanner

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति के शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के व्यक्तित्व और विशेष रूप से परिस्थितियों पर निर्भर है। राष्ट्रपति के लिये साधारण परिस्थिति में प्रधानमंत्री तथा संसद की उपेक्षा करके तानाशाही स्थापित करना संभव नहीं है। क्योंकि राष्ट्रपति पर जनमत का अंतिम अंकुश है। यह भी स्पष्ट है कि फ्रांस की शांति प्रिय जनता कभी भी अकारण राष्ट्रपति की तानाशाही को असाधारण परिस्थितियों में सहन नहीं करेगी।

—x—

Scanned with CamScanner